(2013) 5 एस.सी.आर. 924

सुनील कुन्दू व अन्य

बनाम

झारखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1073/2008)

9 अप्रैल, 2013

[आफ़ताब आलम और रंजना प्रकाश देसी, जेजे.]

दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34-हत्या - निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि के लिए अभियोजन - धारित किया है कि- मामले में गम्भीर खामियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ - इसलिए, आरोपी दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आपराधिक न्यायशास्त्र - अभियोजन को अपने दम पर खड़ा होना या गिरना होगा - यदि उसने उचित संदेह से परे अपना मामला साबित नहीं किया है, तो वह बचाव पक्ष की कमी का लाभ नहीं ले सकता है।

जाँच-दोषपूर्ण जाँच - का प्रभाव - धारित: जाँच में खामियाँ और अनियमितताएँ, यदि वे मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं, यदि वे अभियोजन मामले की बुनियाद को नहीं हटाती हैं, तो उन्हें अनदेखा किया

जा सकता है - वर्तमान मामले में, गंभीर होने के कारण कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

गवाह - हितबद्ध गवाह - साक्ष्य मूल्य - धारित: हितबद्ध गवाह के साक्ष्य, यदि सुसंगत हैं, पर भरोसा किया जा सकता है और यंत्रवत् अनदेखी नहीं की जा सकती है - वर्तमान मामले में, हितबद्ध गवाह, सच्चे नहीं होने के कारण, उनकी उपस्थिति ही संदिग्ध है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

आपराधिक विचारण - प्रत्यक्ष साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य - के बीच असंगति - प्रभाव - माना गया: जहां चश्मदीद गवाह ठोस होता है, वहां चिकित्सा साक्ष्य पृष्ठभूमि में चला जाता है - लेकिन जब चश्मदीद गवाह का विवरण चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत होता है, तो यह विश्वास करने का कारण है कि अभियोजन पक्ष के मामले को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुरूप लाने के लिए अदालत में पेश किया गया- वर्तमान मामले में, बंदूक की चोट के संबंध में चश्मदीद गवाह का बयान चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है।

अपीलकर्ता-अभियुक्तों पर एक व्यक्ति की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से तीन चश्मदीद गवाहों अर्थात् पीडब्लूएस 4, 5 और 6 पर आधारित है। एक अन्य चश्मदीद गवाह (पीडब्लू3) विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गया। विचारण

न्यायालय ने सभी आरोपियों को धारा 302/34 आई.पी.सी के तहत दोषी ठहराया आैर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की। इसलिए वर्तमान अपील करता है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए-

अभिनिर्धारित किया: 1. वर्तमान मामले में, अभियोजन की कहानी में एक बडी कमी है। यह आरोप लगाया गया है कि कम से कम दो आरोपियों के पास पिस्तौलें थीं; मृतक पर गोली चलाई गई और वह घायल हो गया। चिकित्सीय साक्ष्यों से यह मामला प्रमाणित नहीं होता है। घटनास्थल से कोई गोली या खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ है। अभियोजन कहानी की इस प्रमुख कमी और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियों को देखते हुए, उन्हें छोटी विसंगतियां या भिन्नताएं कहना संभव नहीं होगा जिन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के सभी तीन महत्वपूर्ण गवाह, पीडब्ल्यूएस 4, 5 और 6 मृतक से संबंधित हैं और इसलिए, हितबद्ध गवाह हैं। किसी हितबद्ध गवाह के साक्ष्य को यंत्रवत् अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह सुसंगत है, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है और इसके आधार पर सजा दी जा सकती है, क्योंकि एक हितबद्ध गवाह द्वारा वास्तविक अपराधी को छोड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन वर्तमान मामले में, हितबद्ध गवाह सच्चे नहीं हैं। उनकी उपस्थिति ही संदिग्ध है। पीडब्लू-6 के अनुसार, वे अपराध स्थल पर मौजूद थे, लेकिन एफआईआर में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। अभियोजन मामले

की उत्पत्ति को दबा दिया गया है। इसके अलावा, माना कि आरोपी और मृतक के बीच दुश्मनी गहरी है। हालाँकि दुश्मनी एक दोधारी हथियार है, लेकिन गहरी दुश्मनी के कारण झूठी भागीदारी की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 15] [939-जी-एच; 940-ए-डी]

2. अभियुक्तों द्वारा आग्नेयास्त्रों/पिस्तौल का उपयोग साबित नहीं हुआ है। मृतक के शरीर पर किसी पिस्तौल की चोट के निशान नहीं हैं। जब ठोस चश्मदीद गवाह होता है, तो चिकित्सीय साक्ष्य पृष्ठभूमि में चला जाता है। हालाँकि, जब चश्मदीद गवाह चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है और यह मानने का कारण है कि अभियोजन पक्ष के मामले को पोस्टमार्टम नोट्स के अनुरूप लाने के लिए अदालत में सुधार किए गए हैं, तो यह चिंता का कारण है। ऐसे में मेडिकल सबूतों को किनारे रखकर दागी चश्मदीद की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। दागी चश्मदीद गवाह जो आग्नेयास्त्र/पिस्तौल की चोट के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है, ने अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को हिला दिया है। [पैरा 16] [940-ई-जी; 941-सी, जी-एच]

मनीराम एवं अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 Supp. (2) एससीसी 289: 1994(1) Suppl.। एससीआर 63; कपिलदेव मंडल एवं अन्य। बनाम बिहार राज्य (2008) 16 एससीसी 99: 2007 (12) एससीआर 668; अंजनी चौधरी बनाम बिहार राज्य (2011) 2 एससीसी 747: 2010 (13) एससीआर 227; साहेबराव मोहन बेरड बनाम महाराष्ट्र

राज्य (2011) 4 एससीसी 249; एसके. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) 11 एससीसी 754: 2011 (8) एससीआर 83 - पर निर्भर।

3. अभियोजन मामले में एक और बहुत महत्वपूर्ण कमी यह है कि पीडब्लू 6 की सूचना पर पुलिस द्वारा की गई सनहा प्रविष्टि को अभियोजन द्वारा जानबूझकर दबा दिया गया था, क्योंकि इसमें अभियुक्तों के नाम शामिल नहीं थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को संबंधित सनहा प्रविष्टियाँ पेश करने का निर्देश दिया, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने सनहा प्रविष्टियों वाले रजिस्टर के साथ एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया था कि मूल सनहा प्रविष्टियाँ नहीं थीं।

इस न्यायालय ने पाया कि प्रासंगिक सनहा प्रविष्टियों वाले पन्ने फटे हुए और गायब थे। जब इसका सामना किया गया, तो जांच अधिकारी, पीडब्लू-7 ने एक स्तर पर इस आरोप से इनकार किया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि कोई सनहा प्रविष्टि की गयी थी। जब उन्हें यह सुझाव दिया गया कि संहा प्रविष्टि में किसी भी आरोपी का नाम नहीं बताया गया है और आरोपी को गलत तरीके से फंसाने के लिए इसे रिकार्ड से हटा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। इससे अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। [पैरा 17] [842-ए-ई, एफ-एच]

4. यह कहना सही नहीं है कि आरोपियों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की जरूरत है क्योंकि वे फरार थे। फरार हो जाना अपने आप में किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं होता। कोई व्यक्ति झूठे मुकदमे या गिरफ्तारी के डर से भाग सकता है। जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं होता है, तो वह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि आरोपी अपने बचाव की संभावना नहीं बना पाए हैं। अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। यदि उसने अपना मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है, तो वह आरोपी के मामले की कमियों का लाभ नहीं ले सकता है। [पैरा 18] [943-ए-बी, सी-डी]

5.1. वर्तमान मामले की जांच दोषपूर्ण थी। यह सच है कि किसी मामले की जांच में खामियों या अनियमितताओं के आधार पर आरोपी को बरी करना पीड़ितों की कीमत पर एक असक्षम जांच एजेंसी के निंदनीय आचरण पर प्रीमियम डालना होगा, जिससे अपराध करने वालों को बढ़ावा मिल सकता है। जांच में खामियों या अनियमितताओं को एक शर्त के अधीन नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्हें केवल तभी नजरअंदाज किया जा सकता है जब उनके अस्तित्व के बावजूद, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को दर्शाते हों और सबूत उत्तम गुणवत्ता के हों। यदि चूक या अनियमितताओं मामले की जड़ तक नहीं जाएंगे। यदि वे

अभियोजन मामले के आधार को नहीं हटाते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। [पैरा 19] [943-डी-जी)

5.2. मौजूदा मामले में जांच में खामियां बेहद गंभीर हैं। पीडब्लू-5 जब्ती पंचनामा का एक पंच/गवाह है जिसके तहत अपराध स्थल से हथियार और अन्य सामान जब्त किए गए थे और पूछताछ पंचनामा भी है। स्वतंत्र पंचों/गवाहों की परीक्षा नहीं की गई है। जांच अधिकारी ने अपनी गवाही में कहा है कि जब्त सामान आरोप पत्र के साथ कोर्ट में नहीं भेजा गया था। इन्हें थाने के मालखाने में रखवा दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया है कि जब्त सामान विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। गायब सनहा प्रविष्टियों के बारे में उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उस पहलू पर उनका साक्ष्य विनाशकारी है। मृतक के कपड़े विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजे गए। जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि मृतक के कपड़ों की जब्ती सूची नहीं बनायी गयी थी। मृतक के ब्लड ग्रुप का पता नहीं चल सका है। जब्त वस्तुओं पर पाए गए रक्त और मृतक के रक्त के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इतनी बड़ी चूक की भरपाई करना कठिन है। इसके अलावा चश्मदीदों के साक्ष्य भी भरोसा नहीं जगाते। निस्संदेह, हत्या के अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। संदेह चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता। ऐसे मामले में, संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। [पैरा 19] [943-जी-एच; 944-ए-डी]

नजरी कानून के संदर्भ में:

1994 (1) Suppl. एससीआर 63 पर भरोसा किया पैरा 7 के लिए

2007 (12) एससीआर 668 पर भरोसा पैरा 7 के लिए

2010 (13) एससीआर 227 पर भरोसा पैरा 7 के लिए

(2011) 4 एससीसी 249 पर भरोसा पैरा 7 के लिए

2011(8)SCR 83 Relied On Para-18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1073/2008,

आपराधिक अपील संख्या 1762/2004 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 20.08.2007 से साथ Crl. आपराधिक अपील संख्या 1419/2008, 1512/2009

एस.बी.सान्याल, नागेन्द्र राय, सुभरो सान्याल, कुमार राजीव, शांतनु सागर, स्मरहर सिंह, गोपी रमण, विष्णु शर्मा, अपीलार्थी की ओर से

रतन कुमार चौधरी, अमरेन्द्र कुमार चौबे, कृष्णानंद पाण्डेय, प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया।

(श्रीमती) रंजना प्रकाश देसी, न्यायाधिपति. 1. अपीलार्थीगण सुनील कुंडू, बब्लू कुंडू, नागेश्वर साह और हीरा लाल यादव (सुविधा के लिए 'ए1-सुनील', 'ए2-बबलू', 'ए3-नागेश्वर' और 'ए4-हीरालाल',) पर धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 201 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता की (संक्षेप में, 'आईपीसी') और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (संक्षेप में 'शस्त्र अधिनियम') के लिए मुकदमा चलाया गया। सत्र न्यायालय ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 15-17/09/2004 द्वारा उन्हें आईपीसी की धारा 201 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषमुक्त कर दिया। हालाँकि, उन्हें आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई गई। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में अपील की। उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। अत: ये अपीलें विशेष अनुमति द्वारा।

2. यह मामला इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि अकुशल, ढुलमुल और अक्षम जांच एजेंसी द्वारा न्याय के मुद्दे को कैसे पराजित किया जा सकता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन टिप्पणियों के कारण स्पष्ट होते जायेंगे।

3. मुकदमे में, संक्षेप में, अभियोजन का मामला यह था कि 29/01/1996 को लगभग शाम 5.00 बजे मृतक सुरेश यादव (सुविधा के

लिए, "मृतक") अपनी मोटरसाइकिल से रिफ्यूजी कॉलोनी, जामताड़ा, मिहिजाम पिच रोड स्थित बिजन कौर की दुकान के पास पहुंचा। पीडब्लू-3 बासुदेव मल्लिक सीट के बीच में बैठे थे और पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव उनके पीछे बैठे थे। जब वे बिजन कौर की दुकान के पास पहुँचे, तो उन्होंने ए1-सुनील, ए2-बबलू,ए3-नागेश्वर और ए4-हीरालाल को वहाँ खड़े देखा। आरोपियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई। मोटरसाइकिल गिर गयी। सभी आरोपियों ने मृतक पर चाकू व भुजाली से हमला कर दिया। लोगों को डराने के लिए उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। मृतक रेलवे लाइन के दक्षिणी तरफ भागने लगा लेकिन वह खेत में गिर गया। पीडब्लू-3 बासुदेव मल्लिक पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, किसी तरह भागने में सफल रहे। वह भागकर मिहिजाम थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी। वह पुलिस के साथ घटनास्थल पर आये। उन्होंने मृतक को चित्तरंजन रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में, पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव का बयान जांच अधिकारी - पीडब्लू-7 गिरीश प्रसाद मिश्रा द्वारा दर्ज किया गया था। इसे एफआईआर माना गया। एफआईआर के आधार पर जांच की गई और जांच पूरी होने पर आरोपी पर उपरोक्त आरोप लगाए गए।

4. अपने मामले के समर्थन में अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों की जांच की। अभियोजन की कहानी पीडब्ल्यू-4 शंकर यादव, पीडब्ल्यू-5

जलधारी यादव तथा पीडब्ल्यू-6 नरेन्द्र यादव की गवाही पर टिकी है। अभियुक्त ने आरोप के प्रति स्वयं को निर्दोष बताया। उनका कहना था कि पुरानी दुश्मनी के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने अन्यत्र बचाव का अनुरोध किया और अपने मामले के समर्थन में 21 गवाहों से पूछताछ की। उनकी अन्यत्र बच निकलने की याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें पूर्वोक्त रूप से दोषी ठहराया गया।

5. हम सबसे पहले पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरुआत करेंगे क्योंकि यह अभियोजन मामले के अनुरूप नहीं है जो न्यायालय में विकसित किया गया था। पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव के अनुसार, 29/1/1996 को शाम करीब 5 बजे मृतक अपनी मोटरसाइकिल से रिफ्यूजी कॉलोनी, जामताड़ा, मिहिजाम पिच रोड स्थित बिजन कौर की दुकान के पास पहुंचा। पीडब्लू-3 बासुदेव सीट के बीच में बैठा था और वह पीडब्लू-3 बासुदेव के पीछे बैठा था। जब वे बिजन कौर की दुकान के पास पहुँचे, तो उन्होंने ए1- सुनील, ए2-बबलू, ए3-नागेश्वर और ए4-हीरालाल को वहाँ खड़े देखा। आरोपियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई। ए2-बबलू ने रॉड से झटका दिया और मोटरसाइकिल गिर गयी। इसके बाद, ए1- सुनील ने मृतक पर गोली चला दी और मृतक घायल हो गया। ए3-नागेश्वर ने मृतक के पूरे शरीर पर चाकू से वार किया। ए4-हीरालाल ने मृतक पर पिस्तौल से गोली चलाई और उसे घायल कर दिया। उन्होंने पीडब्लू-3 बासुदेव मलिक पर भी लोहे

की रॉड से हमला किया। इसके बाद, वह मिहिजाम पुलिस स्टेशन भाग गया और पुलिस को अपराध स्थल पर ले आया। उन्होंने मृतक को अनुपम सेवा सदन में स्थानांतरित कर दिया। डॉक्टर की सलाह पर, मृतक को चित्तरंजन रेलवे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना एक ओर मृतक और दूसरी ओर ए3-नागेश्वर और ए4-हीरालाल के बीच पुरानी दुश्मनी के कारण हुई थी। उन्होंने एफआईआर में पीडब्लू-4 शंकर यादव और पीडब्लू-5 जलधारी यादव की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया।

6. हमने ए1-सुनील और ए2-बबलू की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सान्याल और ए3-नागेश्वर और ए4-हीरालाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागेंद्र राय को सुना है। जहां तक मामले की उत्पत्ति और पीडब्लू-4 शंकर यादव और पीडब्लू-5 जलधारी यादव के साक्ष्यों की कथित अविश्वसनीयता का सवाल है, श्री सान्याल ने कहा कि वह श्री नागेंद्र राय की दलीलों को अपना रहे थे। हमने झारखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रतन कुमार चौधरी को भी सुना है। हमने उनकी लिखित दलीलों का अध्ययन किया है।

7. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सान्याल ने प्रस्तुत किया कि कहा जाता है कि ए1-सुनील ने मृतक पर पिस्तौल से गोली चलाई थी। हालाँकि, उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, पीडब्लू-1 डॉ. चक्रवर्ती ने अपने साक्ष्य में कहा कि मृतक

पर बंदूक की कोई चोट नहीं थी। अधिवक्ता ने कहा कि राज्य की यह दलील कि बंदूक का इस्तेमाल केवल लोगों को डराने के लिए किया गया था, गवाहों के साक्ष्य से साबित नहीं होती है। इसके अलावा, घटना स्थल से कोई गोली या खाली कारतूस जब्त नहीं किया गया। जहां तक ए 2-बबलू का सवाल है, अधिवक्ता ने बताया कि जबकि पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव ने एफआईआर में कहा कि ए 2-बबलू ने मृतक को लोहे की रॉड से मारा, न्यायालय में उसने कहा कि उसने चाकू पकड़ रखा था। ऐसा उसके साक्ष्य को पोस्टमॉर्टम नोट्स के अनुरूप लाने के लिए किया गया था। पीडब्लू-1 डॉ. चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें मृतक पर कोई लोहे की रॉड की चोट नहीं मिली। अत: अभियोजन की कहानी असत्य है। मणिराम और अन्य बनाम यूपी राज्य [1], पेश करते हुये अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि मौखिक साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत है, तो यह एक मौलिक दोष है जो अभियोजन मामले को संदेहास्पद करता है। हमारा ध्यान कपिलदेव मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य [2], की ओर आकर्षित करते हुये अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जहां मौखिक साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत है, वहां आरोपी संदेह का लाभ पाने का हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब चिकित्सीय साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति का समर्थन नहीं करते हैं, तो उनकी उपस्थिति को खारिज कर दिया जाता है। (देखें अंजनी चौधरी बनाम बिहार राज्य [3])। अधिवक्ता ने साहेबराव मोहन बेरड बनाम महाराष्ट्र राज्य पर भी भरोसा किया [4]।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागेंद्र राय ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत और असत्य हैं। उन्होंने बताया कि पीडब्लू-5 जलधारी यादव ने गवाही दी कि वह और पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव, पहला मुखबिर शव को अस्पताल ले गए और एफआईआर दर्ज करने के लिए बयान दिया। इससे पता चलता है कि इसे चित्तरंजन रेलवे अस्पताल में रिकॉर्ड किया गया था। पुलिस के समक्ष दिये गये पूर्व बयान को दबा दिया गया है। एफआईआर में और न्यायालय में भी, पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दो लोगों ने मृतक पर गोली चलाई थी, लेकिन मृतक पर बंदूक की कोई चोट नहीं पाई गई थी। एफआईआर और पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव के साक्ष्य में अंतर है। पीडब्लू-4 शंकर यादव और पीडब्लू-5 जलधारी यादव ने न्यायालय में अपने बयान में सुधार किया है। इन दोनों गवाहों ने कहा है कि जब वे अस्पताल गए तो पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव मौजूद थे। लेकिन, एफआईआर में उनके नाम का जिक्र नहीं है। बचाव पक्ष के अनुसार एस.डी.ई. क्रमांक 473 दिनांक 29/1/1996 शाम 5.55 बजे दर्ज किया गया, जब पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव पुलिस को घटना के बारे में सूचित करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन किसी नाम का खुलासा नहीं किया गया था और इसलिए, वहां किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। सनहा प्रविष्टि संख्या 473 गायब है। इस प्रकार पुलिस द्वारा दर्ज पूर्व संस्करण को अभियोजन पक्ष द्वारा दाबा दिया गया है। पीडब्लू-4 शंकर यादव के साक्ष्य अभियोजन के लिए किसी काम के नहीं हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि

आरोपी उन्हें नहीं जानते थे और उन्होंने उनके बारे में दूसरों से सुना था। अधिवक्ता ने कहा कि घटनास्थल एक व्यस्त जगह है। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। माना कि दोनों पक्षों में दुश्मनी है। चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते। इसलिए, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अधिवक्ता ने कहा कि इसलिए आरोपी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रतन कुमार चौधरी ने प्रस्तुत किया कि जहां तक घटना घटित होने के तरीके का सवाल है, पीडब्लू-4 शंकर यादव, पीडब्ल्यू-5 जलधारी यादव एवं पीडब्ल्यू-6 नरेन्द्र यादव के साक्ष्य में कोई भिन्नता नहीं है। इसमें मामूली बदलाव हो सकते हैं जो अभियोजन मामले के आधार को प्रभावित नहीं करते हैं। केवल इसलिए कि एफआईआर में पीडब्लू-4 शंकर यादव और पीडब्लू-5 जलधारी यादव के नाम का उल्लेख नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि वे उपस्थित नहीं थे। यह सच है कि पीडब्लू-4 शंकर यादव ने कहा कि वह आरोपियों के नाम नहीं जानता, लेकिन उसने कहा कि उसे अपराध स्थल पर नामों का पता चला और उसने अदालत में आरोपियों की पहचान की। अधिवक्ता ने बताया कि जांच अधिकारी ने अपनी गवाही में कहा कि आरोपियों के आतंक के कारण कोई भी बयान देने के लिए आगे नहीं आया। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और इसलिए, स्वतंत्र गवाहों से

पूछताछ न करने से अभियोजन पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। अधिवक्ता ने कहा कि सनाह एंट्री नंबर 473 के बारे में कहानी अभियोजन की कहानी पर संदेह पैदा करने के लिए मनगढ़ंत है। ऐसी कोई सनहा प्रविष्टि नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी की सजा पूरी तरह से वैध और न्यायोचित है। अत: अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

10. चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर जाने से पहले, हम पोस्टमार्टम नोट्स पर ध्यान देंगे क्योंकि जहां यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बन्दूक का इस्तेमाल किया था, वहीं पोस्टमार्टम नोट्स यह नहीं दिखाते हैं कि मृतक को बन्दूक से कोई चोट लगी थी। पोस्टमार्टम नोट्स के अनुसार, शव के दोनों घुटनों के जोड़ों पर अलग-अलग आकार के 24 कटे हुए घाव और कई खरोंचें थीं। मृत्यु का कारण "तीव्र काटने वाले हथियार के कारण मृत्यु पूर्व चोट संख्या (i) और (xv) के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे के कारण" बताया गया है। वे भुजाली या छुरा (चाकू) के कारण हो सकते हैं। चोट संख्या (1) और (xv) कटे हुए घाव हैं। पोस्टमार्टम नोट में आगे कहा गया है कि चोट संख्या (xxiii) लोहे की रॉड के कारण हो सकती है। चोट संख्या (xxiii) को "दोनों घुटनों के जोड़ों पर अलग-अलग आकार के कई घर्षण" के रूप में वर्णित किया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले पीडब्लू-1 डॉ. चक्रवर्ती ने पोस्टमार्टम नोट्स में दर्ज

निष्कर्षों को दोहराया और कहा कि मृतक पर बन्दूक की कोई चोट नहीं थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि दोनों घुटनों के जोड़ों पर पाई गई कई खरोंचें गिरने के कारण हो सकती हैं।

11. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का मुख्य मुद्दा यह है कि चूंकि मृतक पर बन्दूक की कोई चोट नहीं है, इसलिए अभियोजन की पूरी कहानी तर्कहीन है। इसलिए, अब हमें पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव के साक्ष्य को देखना चाहिए। पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव पहला मुखबिर है। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि पीडब्लू-3 बासुदेव मलिक सहित सभी गवाह जो अपने बयान से पलट गए, उन्होंने कहा कि वह मोटरसाइकिल पर बैठा था जिसे मृतक चला रहा था। इसके अलावा इस घटना के दौरान मोटरसाइकिल से गिरने के कारण उन्हें चोटें भी आयीं। पीडब्लू-2 डॉ. मिश्रा ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना की तारीख 29/1/1996 को उन्होंने पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव की जांच की। उन्होंने इस गवाह को लगी चोटों की प्रकृति का वर्णन किया और चोट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो Ex-21 पर है। उनका साक्ष्य अन्य गवाहों के साक्ष्य से केवल इस हद तक मेल खाता है कि जब मोटरसाइकिल बिजन कौर की दुकान के पास पहुंची, तो सभी आरोपी वहां इकट्ठे हुए थे; उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और ए3-नागेश्वर पर रॉड से हमला किया जिससे मोटरसाइकिल गिर गई। इसके बाद उसकी गवाही अन्य गवाहों की गवाही से असंगत है। उन्होंने बताया कि मृतक दक्षिण दिशा की ओर रेलवे लाइन

की ओर भागा। ए1-सुनील ने उस पर बन्दूक से फायर कर दिया। ए2-छुरा से लैस बब्लू ने मृतक के शरीर पर कई जगह चोटें पहुंचाईं। ए3-नागेश्वर ने मृतक को रॉड से पीटा। एए4- हीरालाल ने मृतक पर बन्दूक से गोली चलाई। पीडब्लू3-बासुदेव मलिक को ए3-नागेश्वर ने रॉड से पीटा। फिर उसने थाने जाकर घटना की जानकारी दी। वह पुलिस को अपराध स्थल पर ले आए। मृतक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उन्होंने मृतक को इलाज के लिए अनुपम सेवा सदन में भर्ती कराया। डॉक्टर की सलाह पर मृतक को चितरंजन रेलवे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि चित्तरंजन रेलवे अस्पताल में उनका बयान दर्ज किया गया। न्यायालय में ए2-बबलू को पहचानने में उनसे गलती हो गयी। इस गवाह का मामला कि ए1-सुनील और ए4-हीरालाल के हाथों में बन्दूकें थीं और उन्होंने मृतक पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप उसे बन्दूक से चोट लगी, पोस्टमार्टम नोट्स से गलत साबित होता है। माना जाता है कि, पोस्टमॉर्टम नोट्स से यह संकेत नहीं मिलता है कि मृतक को बन्दूक से कोई चोट लगी थी। यह ध्यान रखना उचित है कि अपराध स्थल से कोई गोली या खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ। इसलिए, यह गवाह स्पष्ट रूप से सच सामने नहीं आया है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि मृतक के गिरने के बाद वह भागकर पुलिस स्टेशन गया था आैर आरोपी द्वारा कथित तौर पर मृतक का गला काटने की बात उसने नहीं देखी है। उसने भागते समय आरोपियों द्वारा की गई कथित अंधाधुंध फायरिंग भी नहीं देखी है। यहाॅ यह बताना अप्रासंगिक

नहीं होगा कि उसने जिरह में स्वीकार किया कि मृतक उसके मामा के घर रहता था आैर वह उसका रिश्तेदार था। उसने बताया कि वह भी मृतक के साथ ही रह रहा था। उसने यह कहा कि घटनास्थल पर आने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पडी वस्तुआेंं को जब्त किया जबकि पीडब्ल्यू 5 जलधारी यादव ने कहा कि पुलिस ने अस्पताल से घटनास्थल पर वापस आने के बाद शाम आठ बजे जब्ती पंचनामा तैयार किया था। इस साक्षी पर भरोसा करना कठिन लगता है

12. पीडब्लू-3 बासुदेव मलिक, जो मृतक द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल पर बैठे थे, का बयान पीडब्लू-8 सतीश चंद्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। हालाँकि, वह मुकर गया। अभियोजन पक्ष उसके साक्ष्य से केवल इस हद तक समर्थन प्राप्त कर सका कि वह, पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव और मृतक शाम 5.30 बजे रिफ्यूजी कॉलोनी पहुंचे, घटना की तारीख पर; कि उसके सिर पर किसी कठोर वस्तु से वार किया गया और वह गिर पड़ा। पीडब्लू-2 डॉ. एस.के. मिश्रा, जिन्होंने 29/1/1996 को उनकी जांच की थी, ने उन्हें लगी चोटों का वर्णन किया है और चोट रिपोर्ट (एक्स-2) प्रस्तुत की है। इस प्रकार, उनकी उपस्थिति और यह तथ्य कि उस दिन रिफ्यूजी कॉलोनी में कुछ घटना हुई थी, स्थापित हो गया है। लेकिन, उनके साक्ष्य का अभियोजन के लिए कोई उपयोग नहीं है क्योंकि अभियोजन की कहानी के प्रमुख पहलू पर उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है।

13. पीडब्लू-4 शंकर यादव माना जाता है कि मृतक से संबंधित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह गवाह एक आकस्मिक गवाह है। वह मौजा कुश बेदिया का रहने वाला है। उसने बताया कि वह कनबोई से अपने घर आ रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि घटना स्थल से उनका घर करीब एक मील दूर है। उसके पास वास्तव में वहां होने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह उस दिन घटनास्थल पर क्यों थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने आरोपी को ग्रिल बनाने की दुकान के पास खड़ा देखा था। मृतक वहां आया। आरोपियों ने मृतक की मोटरसाइकिल पर पथराव शुरू कर दिया। उसे रॉड से मारा गया। उसने हैंडल की पकड़ खो दी। मोटरसाइकिल गिर गयी। मृतक भागने लगा। आरोपियों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया। ए 1-सुनील ने गोली चलाई। गोलीबारी के कारण वहां जुटे लोग भागने लगे। चारों आरोपियों ने मृतक पर भुजाली और चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। जब वह गिर गया तो ए 4-हीरालाल यादव ने उसका गला काट दिया। इस गवाह के अनुसार, पीडब्लू-5 जलधारी यादव उपस्थित थे। इसके बाद सभी आरोपी भाग गये। गौरतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया कि वह आरोपियों के नाम नहीं जानते और उन्हें आरोपियों के नाम वहां इकट्ठा हुए लोगों से पता चले। उन्होंने स्वीकार किया कि मृतक और उसका भाई किसी अन्य सत्र मामले में आरोपी थे और आरोपी एक आपराधिक मामले में गवाह हैं जहां उनका भाई शामिल है। एफआईआर में बताए गए मामले का सामना करते हुए कि मृतक पर आरोपी ने गोली चलाई थी और वह घायल हो गया था, जो कि पोस्टमार्टम

नोट्स के विपरीत है, इस गवाह ने अपने साक्ष्य को पोस्टमार्टम नोट्स के अनुरूप लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ए1-सुनील ने गोली चलाई, लेकिन यह कहने से बचते रहे कि उसने मृतक पर गोली चलाई। उन्होंने सुझाव दिया कि गोलीबारी केवल लोगों को डराने के लिए की गई थी। यह प्रयास असफल साबित हुआ है क्योंकि पुलिस को घटनास्थल से एक भी गोली या खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ है.

14. पीडब्लू-5 जलधारी यादव भी मृतक का रिश्तेदार है। वह एक मौका गवाह हैै। उनके मुताबिक घटना वाले दिन वह पशुओं का चारा खरीदने स्टेशन गये थे। उन्होंने कहा कि घटनास्थल स्टेशन से एक मील से भी कम दूरी पर होगा। इससे पहले कि वह दुकान में प्रवेश कर पाता, मृतक के परिवार के सदस्य वहां आए और उससे मृतक की तलाश करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि उसे ढूंढने के लिए कितनी दूर तक जाना चाहिए। उनके मुताबिक उन्होंने उनसे यह नहीं पूछा कि मृतक कहां गया था या कितने बजे घर लौटता था। यह कहानी तर्कसंगत नहीं है। यह समझ में नहीं आता कि मृतक के परिवार के सदस्यों को कैसे पता चलेगा कि यह गवाह संबंधित समय पर बाजार में होगा ताकि वे उससे संपर्क कर सकें और मृतक की खोज करने के लिए कह सकें। यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिना कोई ब्योरा दिए वह कैसे काम पर लग गया और घटनास्थल पर चला गया, जो स्टेशन से एक मील से भी कम दूरी पर था। किसी भी मामले में, उनके साक्ष्य आत्मविश्वास को

प्रेरित नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि घटना के दिन जब वह पिच रोड स्थित बिजन कौर की दुकान पर थे, तो उन्होंने मृतक की मोटरसाइकिल देखी। पीडब्लू-3 बासुदेव मल्लिक जमीन पर पड़े थे। ए 1-सुनील, ए 2-बबलू, ए 3-नागेश्वर और ए 4-हीरालाल मृतक को रॉड, भुजाली और चाकू से पीट रहे थे। पीडब्लू-4 शंकर यादव वहां आये और चिल्लाने लगे 'मारे दिया; मार दिया'। मृतक पर करीब 20 से 25 वार किए गए। उनके मुताबिक ए 1-सुनील और ए 2-बबलू ने हवा में फायरिंग की। लोग डर गये और इधर-उधर भागने लगे। उन्होंने आगे कहा किए 3-नागेश्वर और ए 4-हीरालाल ने मृतक का गला काट दिया और वे सभी भाग गए। उनके मुताबिक मृतक को मरा समझकर भागते समय आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पीडब्लू-4 शंकर यादव की तरह, इस गवाह ने भी अपने साक्ष्य को पोस्टमार्टम नोट्स के अनुरूप लाने की कोशिश की है, जिसमें किसी भी बन्दूक की चोट का पता नहीं चलता है। यह दोहराना ज़रूरी है कि अपराध स्थल से एक भी गोली या खाली कारतूस बरामद नहीं हुआ। अभियुक्त द्वारा बन्दूक का उपयोग किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। उनका दावा है कि उन्होंने शव उठा लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके कपड़ों पर खून नहीं लगा था। पुलिस ने उसके कपड़े जब्त नहीं किये हैं जो अभियोजन पक्ष पर संदेह उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा उनके साक्ष्य से एेसा प्रतीत होता है कि पीडब्ल्यू 4 शंकर यादव मृतक के साथ मारपीट के बाद आया था। जबकि पीडब्ल्यू 4 शंकर यादव का दावा है कि वह शुरू से ही बाहर था।

15- तीन महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य से निपटने के बाद हम उनके साक्ष्य में विसंगतियों पर ध्यान केन्दि्त करना चाहेंगे। पीडब्ल्यू 4 शंकर यादव ने कहा कि ए-1 सुनील ने फायरिंग की आैर फायरिंग के कारण लोग डर गये। पीडब्लयू 5 जलधारी यादव ने कहा कि ए-1 सुनील व ए-2 बबलू ने लोगों को डराने के लिए हवा में फायरिंग की। उन्होंने आगे कहा कि मृतक को मृत मानकर उन्होंने खाली फायरिंग कर दी। पीडब्यलू 6 नरेन्द्र यादव ने कहा कि ए-1 सुनील आैर ए-4 हीरालाल ने गोली मारकर मृतक को घायल कर दिया। इस प्रकार तीन गवाहों द्वारा दिये गये तीन अलग अलग संस्करण है। पीडब्लयू 4 शंकर यादव के अनुसार केवल ए-1 सुनील के पास ही पिस्तौल थी। पीडब्लयू 5 जलधारी यादव के अनुसार ए-1 सुनील आैर ए-2 बबलू के पास पिस्तौल थी आैर उन्होंने लोागों को डराने के लिये हवा में फायरिंग की। पीडब्ल्यू 6 नरेन्द्र यादव ने कहा कि ए-1 सुनील आैर ए-4 हीरालाल दोनों ने मृतक को गोली मारकर घायल कर दिया। ना तो पीडब्ल्यू 4 शंकर यादव आैर ना ही पीडब्ल्यू 5 जलधारी यादव ने कहा कि ए-4 हीरालाल के हाथ में पिस्तौल थी। मृतक के शरीर पर बन्दूक की कोई चोट नहीं है। पीडब्ल्यू 4 शंकर यादव ने कहा कि ए-4 हीरालाल ने मृतक का गला काट दिया जबकि पीडब्ल्यू 5 जलधारी यादव ने कहा कि ए-3 नागेश्वर आैर ए-4 हीरालाल ने मृतक का गला काट दिया। पीडब्ल्यू 6 नरेन्द्र यादव के अनुसार ए-3 नागेश्वर के हाथ में राॅड थी आैर उसने मृतक पर राॅड से हमला किया था। उसने मोटरसाईकिल पर राॅड से वार भी किया था। यह पीडब्ल्यू 5 जलधारी

यादव के मामले के अनुरूप नहीं है कि ए-3 नागेश्वर ने मृतक का गला काटा था। इसका मतलब यह होगा कि ए-3 नागेश्वर भुजाली या चाकू ले जा रहा था। पीडब्लयू 6 नरेन्द्र यादव ने कहा कि ए-2 बबलू ने मृतक पर चाकू से कई वार किये लेकिन पीडब्ल्यू 5 जलधारी यादव ने कहा कि उसने हवा में गोली चलाई, जिसका मतलब था कि उसके हाथ में पिस्तौल थी। राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रतन कुमार चौधरी द्वारा यह तर्क दिया गया कि अलग अलग व्यक्ति किसी विशेष स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं आैर इस तरह उनके बयानों में मामूली बदलाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे विरोधाभास आैर विसंगतियों को, जो अभियोजन पक्ष के संस्करण की जड तक नहीं जाते, नजरअंदाज करने की जरूरत है। इस मामले में हमारे लिये एेसा दृष्टिकोण अपनाना संभव नहीं है। क्योंकि अभियाेजन की कहानी में एक बड़ी कमी है। यह आरोप लगाया गया कि कम से कम दो आरोपियों के पास पिस्तौल थी, मृतक पर गोली चलाई गयी आैर वह घायल हो गया। चिकित्सकीय साक्ष्यों से यह मामला प्रमाणित नहीं होता है। दौहराते हुये हमे यह बताना होगा कि घटनास्थल से कोई गोली या खाली कारतूस बरामद नहीं हुए हैं। यदि हम अभियोजन की कहानी की इस प्रमुख कमी को ध्यान में रखें और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में उपर्युक्त विसंगतियों पर विचार करें, तो उन्हें छोटी विसंगतियां या भिन्नताएं कहना संभव नहीं होगा जिन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के सभी तीन महत्वपूर्ण गवाह मृतक से संबंधित हैं और इसलिए, इच्छुक गवाह हैं।

हम जानते हैं कि किसी इच्छुक गवाह के साक्ष्य को यंत्रवत् अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह सुसंगत है, तो इस पर भरोसा किया जा सकता है और इसके आधार पर सजा दी जा सकती है, क्योंकि एक इच्छुक गवाह द्वारा वास्तविक अपराधी को छोड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन इस मामले में इच्छुक गवाह सच्चे नहीं हैं। उनकी उपस्थिति ही संदिग्ध है। पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव के अनुसार, वे घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन एफआईआर में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। अभियोजन मामले की उत्पत्ति को दबा दिया गया है। इसके अलावा, माना जाता है कि आरोपी और मृतक के बीच गहरी दुश्मनी है जिसका संदर्भ हम पहले दे चुके हैं। हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि शत्रुता एक दोधारी हथियार है लेकिन गहरी शत्रुता के कारण झूठी संलिप्तता की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

16. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस मामले में बड़ी कमी यह है कि अभियुक्तों द्वारा बन्दूक का उपयोग साबित नहीं हुआ है। मृतक के शरीर पर किसी हथियार के चोट के निशान नहीं हैं। यह सच है कि जब ठोस चश्मदीद गवाह होता है, तो चिकित्सीय साक्ष्य पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। हालाँकि, जब चश्मदीद गवाह चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है और यह मानने का कारण है कि अभियोजन पक्ष के मामले को पोस्टमार्टम नोट्स के अनुरूप लाने के लिए न्यायालय में सुधार किए गए हैं, तो यह चिंता का कारण है। ऐसी स्थिति में, यह कहना मुश्किल है कि

किसी को दागी चश्मदीद के बयान पर विश्वास करना चाहिए और चिकित्सीय साक्ष्य को किनारे रखना चाहिए। इस संबंध में, हम साहेबराव के फैसले का संदर्भ उपयोगी रूप से ले सकते हैं जहां इस न्यायालय ने कहा था कि जब डॉक्टर के अनुभव पर सवाल नहीं उठाया गया है, तो वह चोटों की प्रकृति और मृत्यु के कारण पर राय देने वाला एकमात्र सक्षम व्यक्ति है। हम अंजनी चौधरी मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जहां चिकित्सा साक्ष्य अपीलार्थी की उपस्थिति का समर्थन नहीं करते थे क्योंकि मृतक पर कोई चोट नहीं थी जो लाठी के कारण हो सकती थी और अपीलार्थी के पास लाठी होना बताया गया था। चूंकि उसमें चश्मदीद गवाह विश्वसनीय नहीं पाए गए, इसलिए इस न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया। कपिलदेव मंडल में, सभी चश्मदीद गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृतक बन्दूक के उपयोग से घायल हुआ था, जबकि चिकित्सा साक्ष्य ने विशेष रूप से संकेत दिया था कि मृतक पर बन्दूक की कोई चोट नहीं पाई गई थी। इस न्यायालय ने माना कि चिकित्सा साक्ष्य और चश्मदीद साक्षी के बीच अंतर करते समय, चश्मदीद के मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि चिकित्सा साक्ष्य मूल रूप से विचारात्मक होता है। लेकिन, जब चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा दिए गए साक्ष्यों से पूरी तरह असंगत होते हैं तो न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की सराहना एक अलग परिप्रेक्ष्य में की जाती है। यह देखा गया कि जब चिकित्सा साक्ष्य विशेष रूप से चश्मदीद गवाह के बयान के अनुसार चोट पहुंचाने के दावे को खारिज कर

देते हैं, तो न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है कि अभियोजन पक्ष का बयान भरोसेमंद नहीं है। यह निर्णय स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले की ओर आकर्षित है। मनीराम में, पीडब्लू-2 में एकमात्र चश्मदीद गवाह ने कहा कि दो अपीलार्थीगण ने मृतक-बासदेव का पीछा किया और जब वह भाग रहा था तो दोनों ने कट्टा से उस पर गोलियां चलाईं। हालाँकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, चोट नंबर 7, जो बन्दूक से लगी थी, दाहिने कंधे और ऊपरी बांह के सामने और बाहरी हिस्से पर स्थित थी। न तो पीठ पर और न ही कंधे के पीछे कहीं कोई चोट थी। चूंकि अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक पर उस समय गोली चलाई गई थी जब वह भाग रहा था, इसलिए बंदूक की चोटें उसकी पीठ पर होनी चाहिए थीं। इस विसंगति को देखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो अभियोजन मामले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में साक्ष्य की कमी है और इसलिए, आरोपी को आधार पर दोषी ठहराना मुश्किल होगा। ऐसे सबूतों का. हमें लगता है कि आरोपी इस मामले से भी समर्थन हासिल कर सकते हैं।' दागी चश्मदीद गवाह का बयान, जो हथियार की चोट के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है, ने अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को हिला दिया है।

17. अभियोजन मामले में एक और बहुत महत्वपूर्ण और परेशान करने वाली कमी है। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि

पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को संबंधित घटना के बारे में सूचित किया। सनहा प्रविष्टि की गयी। हालाँकि, पीडब्ल्यू-6 नरेंद्र यादव ने आरोपी का नाम नहीं बताया। यह प्रस्तुत किया गया कि इस सनहा प्रविष्टि को अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर दबाया गया था क्योंकि इसमें अभियुक्तों के नाम शामिल नहीं थे। यह सुझाव दिया गया कि पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव की एफआईआर एक छेड़छाड़ किया गया दस्तावेज है और आरोपियों के नाम बाद में अस्पताल में जोड़े गए थे। यह जांचने के लिए कि क्या इस प्रस्तुतिकरण में कोई तथ्य है, हमने रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की। हमने पाया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों को दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23/10/2003 द्वारा अभियोजन पक्ष को सनहा प्रविष्टि संख्या 465 से 476 दिनांक 29/1/1996 यानी घटना की तारीख पेश करने का निर्देश दिया। मिहिजाम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने सनहा प्रविष्टियों वाले रजिस्टर के साथ दिनांक 4/11/2003 को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि 29/1/1996 की मूल सनहा प्रविष्टियाँ उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रिपोर्ट एक्स-ओ पर है। उक्त पत्र के साथ संबंधित रजिस्टर भी प्रस्तुत किया जाता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में दिनांक 29/1/1993 की सनहा प्रविष्टियाँ गायब हैं, हमने उक्त रजिस्टर को ध्यान से देखा और हमने पाया कि सनहा प्रविष्टि संख्या 465 से 476 दिनांक 29/1/1996 वाले पृष्ठ फटे हुए और गायब हैं। यह अभियुक्तों के मामले का समर्थन करता प्रतीत होता है कि दिनांक 29/1/1996 की सनहा प्रविष्टियाँ जानबूझकर प्रस्तुत

नहीं की गईं क्योंकि उनमें पीडब्लू-6 नरेंद्र यादव द्वारा सबसे पहले बताई गई घटना की जानकारी थी और अभियुक्तों के नाम नहीं थे उसमें उल्लेख किया गया है। जब इसका सामना किया गया तो जांच अधिकारी पीडब्लू-7 गिरीश मिश्रा ने एक समय इस आरोप से इनकार किया। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि कोई सनहा प्रविष्टि की गयी थी। जब उन्हें यह सुझाव दिया गया कि सनहा प्रविष्टि में आरोपियों का नाम नहीं बताया गया है और आरोपियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए इसे रिकार्ड से हटा दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है। इससे अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है।

18. यह तर्क दिया गया कि आरोपी फरार थे और इसलिए, उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाने की जरूरत है। यह सर्वमान्य है कि फरार हो जाना ही किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं होता। कोई व्यक्ति झूठे मुकदमे या गिरफ्तारी के डर से भाग सकता है। (देखें एसके यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [5])। यह भी सच है कि आरोपी द्वारा ली गई अन्यत्र अपील विफल हो गई है। उनके द्वारा जांचे गए बचाव पक्ष के गवाहों पर अविश्वास किया गया है। आग्रह किया गया कि इससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। हम इस निवेदन को अस्वीकार करते हैं। जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं होता है तो वह इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता है कि आरोपी अपने बचाव की संभावना नहीं बना पाए हैं। यह अच्छी तरह से

स्थापित है कि अभियोजन पक्ष को खड़ा होना होगा या अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। यदि उसने अपना मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है, तो वह अभियुक्त के मामले की कमजोरी से समर्थन नहीं ले सकता।

19. हमने जांच एजेंसी के नाखुश आचरण पर टिप्पणी करते हुये, हम अपने विचार की पुनः पुष्टि करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जिस तरह से इस मामले की जांच की गई उससे हम व्यथित हैं।' यह सच है कि किसी मामले की जांच में चूक या अनियमितताओं के आधार पर आरोपियों को दोषमुक्त करना पीड़ितों की कीमत पर एक अक्षम जांच एजेंसी के निंदनीय आचरण पर प्रीमियम डालने जैसा होगा, जिससे अपराध करने वालों को बढ़ावा मिल सकता है। इस न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जांच में खामियों या अनियमितताओं को एक शर्त के अधीन नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्हें केवल तभी नजरअंदाज किया जा सकता है जब उनके अस्तित्व के बावजूद, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को दर्शाते हों और सबूत उत्तम गुणवत्ता के हों। यदि खामियां या अनियमितताएं मामले की जड़ तक नहीं जाती हैं, यदि वे अभियोजन मामले की बुनियाद को उखाड़ नहीं देती हैं, तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। इस मामले में खामियां बेहद गंभीर हैं। पीडब्लू-5 जलधारी यादव जब्ती पंचनामा का पंच है जिसके तहत घटनास्थल से हथियार और अन्य सामान जब्त किए गए थे और पूछताछ पंचनामे का भी पंच है। स्वतंत्र

पंचों की जांच नहीं की गई है। जांच अधिकारी ने अपनी गवाही में कहा है कि जब्त सामान आरोप पत्र के साथ न्यायालय में नहीं भेजा गया था। इन्हें थाने के मालखाने में रखवा दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया है कि जब्त सामान विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। गायब सनहा प्रविष्टियों के बारे में उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उस पहलू पर उनके साक्ष्य अस्पष्ट हैं। मृतक के कपड़े विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजे गए। जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि मृतक के कपड़ों की जब्ती सूची नहीं बनायी गयी थी। मृतक के ब्लड ग्रुप का पता नहीं चल सका है। जब्त किए गए सामान पर पाए गए खून और मृतक के खून के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। इतनी बड़ी चूक की भरपाई करना कठिन है। इसके अलावा चश्मदीदों के सबूत भी भरोसा नहीं जगाते। निस्संदेह, हत्या के अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता को लेकर गंभीर संदेह पैदा होता है। यह अच्छी तरह से तय है कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। ऐसे मामले में संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। इन परिस्थितियों में, हम आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। अपीलार्थी-अभियुक्त जेल में हैं। हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थीगण - ए1-सुनील कुंडू, ए2-बबलू कुंडू, ए3-नागेश्वर प्रसाद साह और ए4-हीरा लाल यादव को तत्काल रिहा किया जाए जब तक कि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो।

20. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

के.के.टी.

अपीलें स्वीकार की गई।

[1] 1994 Supp. (2) एस.सी.सी 289

[2] (2008) 16 एससीसी 99

[3] (2011) 2 एससीसी 747

[4] (2011) 4 एससीसी 249

[5] (2011) 11 एससीसी 754

अपील

स्वीकृत।

(सुमन मीना)

विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट

(एन०आई० एक्ट) क्रम-03,

जयपुर महानगर प्रथम

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी सुमन मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****